

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)
दिनांक 13.07.2024 (शनिवार)

लोक अदालत बैच न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी

मिसल नम्बर:- 70 / 2024 GCMS No. 2024/139

किस्म प्रार्थना-पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

सत्यपाल पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी दलौता तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना
(राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तारीख जारी हु. |
|----------------|--|--|
| 13.07.24 | <p>आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी के समक्ष पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार खेतड़ी से जांच रिपोर्ट ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि राजस्व ग्राम दलौता की जमाबन्दी संवत 2019 के खाता संख्या 43 में औमप्रकाश पिता श्योकरण दर्ज रिकार्ड है, जो संवत 2031 से 2034 की जमाबन्दी में बदस्तुर दर्ज है। मिसल हैकियत संवत 2043 में औमप्रकाश पिता श्योकरण के स्थान पर औंकार पिता श्योकरण दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान जमाबन्दी में बदस्तुर है। यह एक लिपिकीय त्रुटि है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2024/2374 दिनांक 10.07.2024 के आधार पर प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p>—:आदेश:—</p> <p>अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम दलौता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के हाल खाता संख्या 118 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि औंकार पुत्र श्योकरण के स्थान पर औमप्रकाश पुत्र श्योकरण दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़तर हो।</p> <p>आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी कैम्प कोर्ट खेतड़ी में दिनांक 13.07.2024 को मजमें आम में सुनाया गया।</p> | <p>15-7-24</p> |

(सजय सुरोलिया)

सदस्य
अधिवक्ता

(सविता शर्मा)

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

(सीमा कुमारी)

अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट खेतड़ी